न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अमीलाल यादव आर. ए. एस.

न. मु.60/2021

1 नानगराम पुत्र मोबाराम जाति कांजर निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 गुमानी पुत्री मोबाराम जाति कांजर निवासी ग्राम सडू छोटी तह. बीदासर जिला चूरू
2 चेना पुत्री मोबाराम जाति कांजर निवासी ग्राम सडू छोटी तह. बीदासर जिला चूरू
3 तनाराम पुत्र मोबाराम जाति कांजर निवासी ग्राम सडू छोटी तह. बीदासर जिला चूरू
4 परताराम पुत्र मोबाराम जाति कांजर निवासी ग्राम सडू छोटी तह. बीदासर जिला चूरू
5 बादू पुत्री मोबाराम जाति कांजर निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
6 पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
7 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, बीदासर जिला चूरू (राज)

प्रतिवादीगण

''वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ती हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 53, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1 वादी – भंवरलाल कुचेरिया (प्रजापत) एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 7– पेरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 23/12/2024

प्रकरण के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के सयुंक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 2.6431 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 तादादी 1.5429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 तादादी 4.5906 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 8.7766 हैक्टेयर वाके रोही सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा नियत है वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 अलग अलग रहते है वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 5 का खान पान, लेन देन सब अलग अलग है। वादगत भूमि का वादी व प्रतिवादी स. 1 ता 5 के आपस में विभाजन नहीं हुआ है जिसमें वादी द्वारा अपने हिस्से व पांती की भूमि के चारों ओर पुख्ता पट्टीयॉ रोपकर तारबन्दी लगा कर सींव कायम कर रखी थीव वादी अपने हिस्से व पांतिं की भूमि पर उपयोग उपभोग चला आ रहा है। मगर वादगत खेत की राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी अंकित रहने से वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां

लगातार......2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

होती है व संयुक्त खातेदारी होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के मध्य सीमा विवाद रहने लग गया है दिनांक 22/4/2021 को प्रतिवादी स. 1 ता 5 ने वादी के कब्जा उपयोग व उपभोग स्वामित्व की कृषि भूमि से पट्टीयां, तारबन्दी जबरदस्ती भूमाफिया गिरोह को साथ लेकर हटाने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण के मन में कुलालच आ गया है व वादगत भूमि में से मिन्ट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर चले आ रहे कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की भूमि के बंटवारे का उल्लघंन कर गलत रूप से वादी के हिस्से व पांति की भूमि पर सीमा विवाद करने लग गये है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह वागत खेतों की संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवा कर वादी व प्रतिवादीगण सभी के बीच मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर चले आ रहे मौखिक विभाजन के अनुसार अपने हिस्सा व पांति व खातेदारी भूमि का राजस्व रेकार्ड मे पृथक अंकित करवा कर अपने नाम अलग अलग खातेदारी करवाये व लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादगत खेत की खातेदारी भूमि का प्रतिवादी स. 1 ता 5 व वादी ने अर्सा करीब 10 वर्ष पूर्व विभाजन कर लिया था व विभाजन के पश्चात वादी स्वयं मुताबिक मौखिक विभाजन आई हुई हिस्से व पांति की भूमि वादी के पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग में चली आ रही है प्रतिवादी स. 1 ता 5 मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर चले आ रहे बंटवारे का उल्लघंन कर सीमा विवाद करने लग गये है व प्रतिवादी स. 1 ता 5 ऐलानियां धमकीया दे रहे है कि वादगत भूमि में आपके हिस्से की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करेगे व तुझे यहां से बैदखल करेगे इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी स. 1 ता 5 को वर्जित कराये की वादी को वादी के हिस्से व पांति की भूमि से बैदखल नहीं करें, वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी भी हिस्सा या अंश को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करायें, और ना ही वादगत खेत के किसी हिस्सें या अंश को विक्रय हस्तान्तरण, रहन वैय आदि करावें। ना ही वादी के मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर चले आ रहे कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधाएं रूकावटें आदि स्वयं पैदा करें अथवा अपने किसी अन्य से करावें। नाही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे वादी के वैध कानूनी अधिकारी के विपरीत असर पड़े। वादी ने प्रतिवादी स. 1 ता 5 से वादगत भूमि का विभाजन करवाने का कई बार निवेदन किया, पहले तो प्रतिवादी स. 1 ता 5 हामी भरते रहे मगर दिनांक 22/4/2021 को वादगत भूमि का खाता विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है वादगत भूमि सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि होन`से वादी को वादाधार प्राप्त है आदि आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादगत खेत खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 2.6431 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 तादादी 1.5429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 तादादी 4.5906 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 8.7766 हैक्टेयर वाके रोही सडू छोटी जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा नियत है का विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जाये, प्रतिवादीगण 1 ता 5 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जाये की वादी के हिस्से व पांति की भूमि से बैदखल नहीं करें, वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी भी हिस्सा या अंश को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करायें, और ना ही वादगत खेत के किसी हिस्सें या अंश को विक्रय हस्तान्तरण, रहन वैय आदि करावें। ना ही वादी के मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर चले आ रहे कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधाएं रूकावटें आदि स्वयं पैदा करें अथवा अपने किसी अन्य से करावें आदि आदि प्रस्तुत किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1, 2, 5 की और से रजत पाण्डे एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी स. 3, 4, 6, 7 विधिवत तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की और से अपनी साक्ष्य में वादी स्वयं नानगराम ने अपने सशपथ बयाने प्रस्तुत किये व गवाह पी. डब्ल्यू–2 नत्थूराम ने सशपथ बयाने प्रस्तुत किये व दस्तावेज प्रदर्श–1 ता 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये। वादी के साक्ष्य और प्रस्तुत नहीं करवाना जाहिर करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

बहस उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। वादी का वाद विभाजन का इस प्रकार स्वीकार कर प्रारभिक डिकी जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 2.6431 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 तादादी 1.5429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 तादादी 4.5906 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 8.7766 हैक्टेयर वाके रोही सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू मे वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 5 का हिस्सा मुताबिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी जारी हो। प्रारम्भिक डिकी जारी होकर विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे साथ ही तहसीलदार बीदासर विभाजन किये जा रहे खेत की वर्तमान जमाबन्दी विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बीदासर जिला चूरू

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम.......बीदासर जिला चूरू ....व
इजलास.............पीठासीन अधिकारी........... श्री अमीलाल यादव R.A.S.

.... नानगराम ...... बनाम ...गुमानी आदि......

दावा बाबत ...60...विभाजन ......

मुकदमा नम्बर...60 /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू भंवरलाल कुचेरिया ....हाजरी .... श्री रजत पाण्डे मिनजानिब मुदई व ....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि .... वादी का वाद विभाजन का इस प्रकार स्वीकार कर प्रारभिक डिकी जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 2.6431 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 तादादी 1.5429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 तादादी 4.5906 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 8.7766 हैक्टेयर वाके रोही सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू मे वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 5 का हिस्सा मुताबिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

फीस ....—.......... मुबलिग.........—.........बाबत ....—..........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....—...............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....—.......
......—......को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....23.........माह.......12.......2024

दस्तखत............ उपखण्ड अधिकारी
ओहदा........ बीदासर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)